ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-10* November- 2020
Innovation The Research Concept

सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध : एक अध्ययन

Crime Against Property: A Study

Paper Submission: 15/11/2020, Date of Acceptance: 26/11/2020, Date of Publication: 27/11/2020

भवानी प्रसाद यादव
विभागाध्यक्ष,
विधि विभाग,
शासकीय पालूराम धनानिया
वाणिज्य एवं कला,
महाविद्यालय, रायगढ,
छ.ग., भारत

सारांश

आधुनिकीकरण तथा बढ़ती हुई भौतिकवादी प्रवृत्ति ने अपराध और अपराधी सम्बन्धी धारणाओं को ही बदल दियाहै। यही कारण हे कि सामाजिक–आर्थिक अपराधों में भी असीमित वृद्धि हुई है। आर्थिक एवं सामाजिक अपराध केवल दण्डात्मक कानून मात्र पारित कर देने मात्र से नियंत्रित नहीं किये जा सकते। इस शोध पत्र में संपत्ति के विरूद्ध अपराध पर कितने अपराधी दोषी पाये गये, सपत्ति की वसूलीदर एवं भारत में क्षेत्र एवं राज्य अनुसार संपत्ति के विरूद्ध अपराधों के आकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

Modernization and increasing materialistic tendencies have changed perceptions of crime and criminality. This is the reason that there has been an unlimited increase in socio-economic crimes. Economic and social crimes cannot be controlled only by passing punitive laws. In this research paper, how many criminals were found guilty on crime against property, recovery rate of property and data of crimes against property according to region and state in India have been analyzed.

मुख्य शब्द : अपराध, गरीबी, निर्धनता, भ्रष्टाचार, सामाजिक अपराध।
Crime, Poverty, Poverty, Corruption, Social Crime.

प्रस्तावना

अपराध के कारण में एक प्राचीनतम कारण है– गरीबी, निर्धनता अपराध को बढ़ावा देता है तथा अपराध पूॅजीवादी सामाजिक संरचना को अर्थिक व्यवस्था में अन्तर्विहित, अन्तर संघर्षों का एक परिणाम है। निर्धन व्यक्ति अपनी निर्धनता या गरीबी से उत्पन्न कुठाओं के कारण शराब पीते हैं जो उसके अपराधिक व्यवहार का परोक्ष कारण बनती है।[1]

अपराध का यह सिद्धांत विशेषकर कार्ल मार्क्स एवं फेडरिक एंजिल्स एवं बोगर के विचारों पर आधारित है। यह सिद्धांत अर्थिक नियतिवाद (Economic Determinism) पर जोर देता है। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है कि अपराध दशाओं का मात्र एक परिणाम है।

शोध पत्र का उद्देश्य

इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक अपराध में निर्धनता कितना प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कारण है। वैसे तो सफेदपोश, अपराधी निर्धन नहीं होते है, परन्तु उनके अपराध में एक राजनितिक लालफितासाही या भष्ट्राचार एवं पुलिस गठजोड़ भी एक प्रमुख कारण होता है। पर सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध में खासकर के गंभीर अपराध जैसे लूट, डकैती इत्यादि अपराध में सफेदपोश अपराधियों की संख्या कम रहती है।

अपराध के कारणों के रूप में प्राचीनतम एवं अत्यंत व्यापक प्रगतिशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धनता का है। अर्थिक नियतिवादी, मार्क्सवादी सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धनता का है। मार्क्सवादी, सामाजिक कार्यकर्ता, मानववादी एवं आर्थिक नियतिवादी इत्यादि सभी ने अपने वैयक्तिगत धारणाओं की अभिव्यक्ति के रूप में अर्थिक कारणों पर विशेष बल दिया है।[2] अत्यंत व्यापक रूप से यह अध्ययन किया गया हे कि आर्थिक दशा अपराध के कारणों में एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक कारणों में से एक है यह अपराध केवल सम्पत्ति के विरूद्ध तो है ही एवं बहुत सारे अपराध जो कि शरीर के विरूद्ध होते है उनमें भी अर्थिक या सम्पत्ति मुख्य कारण होता है।

सकल्पनायें

इस शोध पत्र में तीन सकल्पना का अध्ययन किया गया है–

1. प्रथम– संकल्पना में चोरी या लूटी गई सम्पत्ति के वसूली (Recovery) पर आधारित है। समाज में यह धारणा की चोरी गई सम्पत्ति का वापिस मिलना कठिन है (भूल जाओं)। यह धारणा कितना सही है इसका विश्लेषण तालिका नम्बर एक के आंकडों के आधार पर किया गया है।
2. सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध में दंडित प्रकरणों की संख्यॉ काफी कम है जो इस अपराध को करने में उत्साहित करती है इसका विश्लेषण तालिका नम्बर 2 के आंकडों के आधार पर किया गया है।
3. सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध में सम्पत्तियों का वापसी या वसूली (Recovery) प्रतिशत काफी कम है कानून व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण राज्य अनुसार वसूली या (Recovery) प्रतिशत अलग–अलग होने के कारण तालिका संख्या – 3 में राज्य अनुसार एवं क्षेत्रानुसार इसका विश्लेषण एवं उसकी गंम्भीरता कानून व्यवस्था को लागू करने की गंभीरता को दर्शाता है।

शोधपद्धती

इस शोधपत्र में समाजिक विधिक शोध को अपनाया गया है। विधि का सम्बन्ध समाज, अर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आदि से सीापित एवं प्रभावित है। प्रस्तुत शोध पत्र में क्राइम इन इंडिया (Crime in India) के ऑकडे जो कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो नई दिल्ली के द्वारा जारी गई है का विश्लेषण किया गया है, एवं यह शोध पत्र उपलब्ध डेटा की व्याख्या एवं विश्लेषण पर आधारित है। यह शोध पत्र एक डॉक्ट्रीनल अथवा पारम्परिक अथवा अननुभवश्रित विधिक शोध पद्धति पर आधारित है।

भारत में सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध एवं उनका न्यायालयों में आरोपित करके साक्ष्य प्रस्तुत करके अन्त में कितने अपराधियों को दण्डित किया जाता है। कितने मामले में आरोपी का छूट जाना कभी साक्ष्य पूरा या नहीं मिलने पर आरोपित का छूट जाना एवं अधिकतर मामलों में सम्पत्ति का वापित नहीं मिलना एक विचारणीय प्रश्न है एवं अध्ययन का विषय है। सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध के कई कारण है–जैसे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, विलासितापूर्ण जीवन जीने की चाहे अन्य से बराबरी करने की होड़, या दिखावा या बराबरी करने हेतु अपराध करना या सफेदपोश अपराधी एवं आज के राजनैतिक एवं अपराधी गठजोड़ एवं अन्त में यह कहें भ्रष्टाचार सभी सम्मपत्ति से संबंधित ही अपराध है या कहें कर चोरी, बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धी अपराध ये सभी कई कारण एवं प्रकार है जो व्यक्तियों या कहे कानून तोड़ने वाले के द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर अपनी सम्पत्तियों में बढ़ावा करना या मनोनुसार खर्च करना शामिल है।

नीचे दिये गये तालिका का अवलोकन करने पर कई विचारनीय प्रश्न खड़े हो जाते है।

तालिका क्रमांक – 1

प्रस्तुत तालिका में चोरी गई सम्पत्ति का मूलय एवं वापिस मिली सम्पत्ति का मूल्य दर्शाया गया है एवं वापिस पाई गई सम्पत्ति का मूल्य का प्रतिशत का विश्लेषण किया गया है। इस तालिका से प्रथम संकल्पना का विषलेषण एवं परीक्षण किया गया है।

तालिका क्रमांक – 1 डॉ. श्यामधर सिंह – अपराध के सिद्धांत, कमल प्रकाशन इन्दौर पृष्ठ संख्या – 109

वर्ष	चोरी गई सम्मपत्ति का मूल्य (लाखों में)	वपिस पाई गई सम्मपत्ति का मूल्य (लाखों में)	वापिस पाई गई सम्मपत्ति का मूल्य (प्रतिशत में)
1	2	3	4
2001	151723	44733	29.5%
2002	246723	47742	19.4%
2003	1743504	44759	25.8%
2004	236170	46947	19.9%
2005	24900	57600	23.0%
2006	240395	60723	25.3%
2007	268078	69655	26.0%
2008	385296	76815	19.9%
2009	449501	87611	19.5%
2010	626636	180963	28.9
2011	658525	122538	18.6%
2012	2107194	141793	6.7%
2013	1321931	176270	13.3
2014	751482	157552	21.0%
2015	8210.4 (करोड में)	13502	16.4
2016	97331	14590	15.0%
2017	50025	12961	25.9%

तलिका में दिये गये आकडों का अध्ययन करने पर प्रथम कुल चुराई सम्पत्ति का मूल्य उल्लेख है। तत्पष्चात सम्पत्ति का मूल्य जो वापिस की गई है। उसक पष्चात चुराई गई सम्पत्ति जो वापिस पाई गई है उसका प्रतिशत बताया गया है, अतः कंडिका 4 में कुल चुराई गई सम्पत्ति का कितना प्रतिशत वापिस मिला है को दर्शाया गया है। वर्ष 2001 से 2017 तक का अगर अवलोकन किया जाये तो वर्ष

2001 में सबसे अधिक 29.5% सम्पत्ति को वापिस पाया गया है अर्थात 2/3 से ज्यादा सम्पत्ति वापिस नहीं मिली अर्थात 70% से ज्यादा पिड़ित पक्ष को राहत नहीं मिला।

द्वितीय अगर वर्ष 2001 से 2017 तक का अध्ययन किया जाये तो देख जाता है कि वर्ष 2012 में सबसे कम मूल्य की सम्पत्ति 6.7% की वापसी पाया गया अर्थात 93% पिडित पक्ष को न्याय नहीं मिला उसकी सम्पत्ति उसकों नहीं प्राप्त हुआ। इसका अर्थ होता है जो अपराधी सम्पत्ति के प्रति अपराध करते है वो लाभदयाक स्थिति में रहते है । पीड़ित पक्ष की तुलना में।

तृतीय अगर हम पिछले 17 सालों का 2001 से 2017 तक का अगर एक अनुमानित प्रतिशत निकाला जाये तो वह 21% के आस–पास आता है अर्थात सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध में पिछले 17 सालो में सिर्फ 21% खोई सम्पत्ति ही पीडित पक्ष को वापिस मिला । 79% मामलों में पिड़ित पक्ष को कोई न्याय नहीं मिला। यह अपराधिक न्याय व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है। इसके क्या कारण है? चाहे न्यायपालिका, न्यायधीश, पुलिस अधिकारी, पीड़ित पक्ष की लापरवाही या साक्षी या साक्षों का सामने न अपना या नहीं ला पाना जो भी कारण है यह एक अलग से अध्ययन का विषय है।

तालिका क्र.–02 प्रस्तुत तालिका में न्यायालय द्वारा दंडित अपराधों का प्रतिशत को दर्शाया गया है

वर्ष	डकैती	लूट	आर्थिक अपराध	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध
2006	21.9	30.7	27.0	38.1
2007	23.4	29.3	25.6	39.4
2008	23.0	30.0	29.7	38.1
2009	22.9	30.0	29.8	38.5
2010	21.9	28.3	30.3	36.7
2011	25.0	29.5	28.6	34.5
2012	21.0	29.0	24.6	32.4
2013	19.7	29.8	24.4	32.4
2014	22.7	30.9	22.9	34.7
2015				
2016				
Average	22.3	29.7	26.9	36.8

तालिका क्रमांक – 02 में दिये गये ऑकडों का अध्ययन करने पर अगर हम सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध के मामले में न्यायालय द्वारा किये गये अपराधीयों के ऑकडे पर नजर डाले तो वहॉ भी दंडित अपराधों की सख्या विचारणीय प्रश्न उत्पन्न करती है एवं सोचनीय स्थिति को दर्शाती है।

प्रस्तुत तालिका में वर्ष 2006 से वर्ष 2014 तक सम्पत्ति से सम्बंधि अपराधों के मामलों में दंडित अपराधीयों का प्रतिशत दिया गया है। इनमें डकैती, लूट, आर्थिक अपराध एवं सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधों के शीर्षक के अन्तर्गत जारी किये गये है। अर्थिक अपराधों के ऑकडों में अपराधिक न्यास भंग (Criminal Breach of Trub) / छल (Cheating) इन अपराधों में चोरी एवं ग्रह भेदन के अपराधों को शामिल किया गया है।

प्रथम इस तालिका का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि वर्ष 2009 में सबसे अधिक 30.4 प्रतिशत तक सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध में अपराधीयों को दंडित किया गया है जो की काफी कम है।

द्वितीय वर्ष 2012 में सबसे कम 26.4 प्रतिशत अपराधियों को न्यायाललय द्वारा दंडित किया गया हे अर्थात लगभग एक चौथाई को सजा हुई है एवं तीन चाथाई मामलों में कोई न्याय नहीं हुआ । तृतीय अगर तालिका के अनुसार कंडिका 5 का औसत देख जाये तो मात्र पिछले नौ साल का औसत वर्ष (2006 से 2014) तक 28.7 प्रतिशत मामलों में अपराधी दंडित हो सके। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सम्पत्ति के विरूद्ध किये गये अपराध में लगभग 72 प्रतिशत मामलों में अपराधी बच जाते है यह अपराधिक न्याय प्रशासन की एक बहुत बड़ी खामी या नाकामी कहे जो भी हो पर इसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। इतने मात्रा में अपराधियों को दंडित नहीं होना, अपराधीयों को दंडित नहीं किया जाना या दडित नहीं कर पाना एक ज्वलन्त समस्या है।

अगर हम अपराध के क्रम के अनुसार अवलोकन करे तो डकैती के मामलों में औसत 22.3 प्रतिशत अपराधी ही दंडित हो पाते है यह एक चिन्ता जनक स्थिति है वर्ष 2013 में सबसे कम 19.7 प्रतिशत को ही सजा मिल सकी वर्ष 2011 में 25 प्रतिशत को सजा दिलाई जा सकी है।

अगर लूट के अपराधों का अवलोकन करे तो औसत 29.7 प्रतिशत मामलों में अपराधी दंडित किये जा सके है वर्ष 2010 में 28.3 प्रतिशत सबसे कम दंडित किये गये एवं वर्ष 2014 में 30.9 प्रतिशत अधितम अपराधीयों को सजा मिल पायी थी। अर्थात डकैती के मामले में औसत 22.3 प्रतिशत लूट के मामले में 29.7 प्रतिशत तक अपराधी दडित हो पाते है।

अगर हम अर्थिक अपराधों का अवलोकन करे तो जिसमें अपराधिक न्यास भंग, छल एवं Connterfieting के अपराधों का ऑकड़ा को आर्थिक अपराधों के शीर्षक में दर्शाया गया है । अगर हम तालिका का अवलोकन करे तो अर्थिक अपराधों में औसतन 26.9 प्रतिशत ही अपराधी दंडित हो पाये है।

वर्ष 2014 में सबसे कम 22.9 प्रतिशत ही अपराधी दंडित हो पाये है एवं वर्ष 2010 में अधिकतम 30.3 प्रतिशत दंडित किये गये है।

अब शीर्षक सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधों के आकडों का अवलोन करें तो इसमें (सिर्फ चोरी एवं Burgalary के अपराधों के ऑकडों को शामिल किया गया है) औसतन 36.8 प्रतिशत मामलों में अपराधीयों को दंडित किया गया है। वर्ष 2007 में अधिकतम 29.4 प्रतिशत मामलों में अपराधी दंडित किये गये एवं वर्ष 2012 एवं 2013 में सबसे कम 32.4 प्रतिशत को ही सजा मिल सकी है।

अब हम अगर निचे दिये गये तालिका क्र– 03 में देखे तो भारत के राज्यों के अनुसार वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में सम्पत्तियों का वसूली या Recovry क ऑकडे दिये गये है। तालिका नं. – 03 में राज्यवार वर्ष– 2015, 2016 एवं 2017 में सम्पत्ति का वसूली या वापसी को प्रतिशत के अनुसार दिया गया है एवं तीन वर्षों का ऑकडा औसतन राज्यवार प्रतिशत भी दर्शाया गया है।

तालिका क्र– 03 दक्षिण प्रदेश

राज्य	2015	2016	2017	कुल प्रतिशत
तमिलनाडू	66.4	66.9	77.8	70%
तेलंगाना	57.8	53.7	51.7	54%
कर्नाटक	38.9	38.1	42.4	40%
आंध्रप्रदेश	45.6	41.1	44.3	44%
केरल	26.5	22.0	35.5	28%

उत्तर पश्चिम प्रदेश

राज्य	2015	2016	2017	कुल प्रतिशत
पंजाब	56.2	36.6	35.4	43%
राजस्थान	52.5	54.7	52.7	53%
हिताचलप्रदेश	38.1	44.0	47.2	43%
उत्तराखंड	47.8	54.0	52.7	51%
जम्मू काश्मीर	37.7	45.1	35.0	39%
हरियाणा	36.5	29.4	30.0	32%

उत्तर मध्य क्षेत्र

राज्य	2015	2016	2017	कुल प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	35.5	26.6	34.1	32%
बिहार	14.2	19.8	28.0	21%
मध्यप्रदेश	25.6	30.7	40.0	32%
छत्तीसगढ	40.2	33.7	30.5	35%
झारखण्ड	23.3	21.2	9.2	18%
उडीसा	31.4	25.5	29.6	29%
पश्चिमबंगाल	16.0	15.6	29.6	21%
दिल्ली	17.5	4.8	10.3	11%
गुजरात	20.0	30.0	21.0	24%
गोडवाना	19.8	22.7	14.5	19%
महाराष्ट्र	5.1	7.9	13.7	9%

पूर्वी क्षेत्र

राज्य	2015	2016	2017	कुल प्रतिशत
सिक्किम	35.1	40.1	23.7	33%
मिजोरम	32.9	39.3	7.3	26%
अरूणाचल प्रदेश	41.5	17.2	9.8	23%
मनीपूर	14.3	35.5	19.9	23%
नागालैण्ड	18.8	23.2	24.8	22%
त्रिपूरा	1.5	29.8	25.7	19%
असम	13.6	20.7	13.7	16%
मेघालय	5.3	11.4	14.4	10%

अपरोक्त तलिका का अवलोकन करने पर तमिलनाडू राज्य में सबसे ज्यादा औसतन 70 प्रतिशत वसूली की गई है एवं सबसे कम महाराष्ट्र राज्य में औसतन 9 प्रतिशत सम्पत्ति की वसूली की गई है, जो की काफी निराशाजनक स्थिति हैं। वहीं तमिलनाडू में लगातार 70 प्रतिशत वसूली होने पर

यह कहा जा सकता है कि वहॉ कानून व्यवस्था स्मपत्ति के अपराधों के मामलों में संतोषजनक है। इसी क्रम में तेलंगाना में 54 प्रतिशत राजस्थान में 53 प्रतिशत एवं उत्तराखण्ड में 51 प्रतिशत औसतन सम्पत्ति की वसूली की गई है । इसी तरहा अगर चिंताजनक स्थिति देखे तो महाराष्ट्र में 9 प्रतिशत , मेघालय में 10 प्रतिशत, असम में 16 प्रतिशत, झारखण्ड में 18 प्रतिशत, त्रिपुरा एवं गोवा में 19 प्रतिशत वसुल का प्रतिशत दर्ज किया गया है।

यह काफी विचारणीय प्रश्न है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहॉ मुम्बई जो की भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है वहॉ सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधों में पुलिस एवं न्याय प्रशासन काफी पिछे है, अन्य राज्यों की तुलना में ।

इस तालिका को अगर हम भारत के विभिन्न प्रदेश या क्षेत्र में बॉट कर देखे तो जो भारत का दक्षिण प्रदेश के राज्य है वहॉ केरल को छोडकर अन्य राज्यों में सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधों में वसूली का प्रतिशत भारत के अन्य प्रदेशों में अच्छी हालत में है।

दूसरा प्रदेश अगर हम उत्तर पश्चिम प्रदेश को ले तो उसमें पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू–कश्मीर एवं हरियाणा को ले तो हरियाणा को छोड़कर अन्य राज्यों में भी वसूली का प्रतिशत अन्य पूर्वी भारत एवं मध्य भारत की तुलना में अच्छी है।

अगर हम उत्तर मध्य क्षेत्र को ले जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उडिसा एवं पश्चिम बंगाल को ले तो झारखण्ड जो कि सबसे कम 18 प्रतिशत है, एवं दिल्ली देश की राजधानी औसतन 11 प्रतिशत के साथ होते हुए भी मध्य भारत एवं उत्तरी क्षेत्र का औसतन 25.5 प्रतिशत की दस से सम्मपत्ति की वसूली होती है जो की संतोषजनक नहीं है इसमें देश की राजधानी दिल्ली भी शमिल है जहॉ तीन साल का वसूली दर 11 प्रतिशत है।

अब हम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की स्थिती का अवलोकन करे जो की पहाडी एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र से ज्यादा घिरा हुआ है एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे–छोटे रज्य है जैसे सिक्किम, मिजोरम, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुर, असम एवं मेघालय शामिल है। इसमें सबसे ज्यादा तीन सालों का वसूलीदर 33 प्रतिशत सिक्किम का है एवं सबसे कम मेघालय का है जो कि 10 प्रतिशत है एवं इन पूर्वी राज्यों का औसत निकाला जाये तो वह 21.4 प्रतिशत होगा जो की काफी कम है एवं कानून व्यवस्था तथा न्याय प्रषासन की सोचनीय व्यवस्था की तस्वीर दिखती है।

पूरे भारत के तीन वर्षों के सम्मपत्ति के विरूद्ध अपराधों के मामले में वसूली दर देखे तो वह 19.1 प्रतिशत है। इसी से हम कानून व्यवस्था न्यायप्रशासन एवं दण्ड विधि, प्रक्रिया आदि का अंदाजा लगाया जा सकता है यह काफी चिंताजनक स्थिति है। निषकर्ष जो अपराधी सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधों में संलग्न पाये जाते है यह स्पष्ट है कि 81 प्रतिशत सम्पत्ति वसूली नहीं किया जा सकी अर्थात अपराधीयों ने उसका पूरा लाभ उठाया। बेन्थम के सिद्धांत के अनूसार अपराधी भय की तुलना में (दण्ड) अपराध करके सुख ज्यादा प्राप्त किया है और अगर दंडित प्रतिशत का अवलोकन करें तो वह वर्ष 2006 से 2014 तक औसतन 28.7 प्रतिशत तक ही सजा हुई अर्थात 71.3 प्रतिशत अपराधी छूट गये यहॉ भी सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध करते समय अपराधीयों का मनोबल बढ़ा है और वो काफी लाभ प्रद स्थिति में रहते हे।

यहॉ यह भी देखा गया क जब 2008 एवं 2009 में अर्थिक मंदी का दौर था तब सम्पत्ति के प्रति अपराधों में वसूली प्रतिशत लगभग 19 प्रतिशत था जो की 17 साल का औसत 21 प्रतिशत से कम था। अभी फिर आर्थिक मंदी का दौर जारी है अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फिर सम्पत्ति के विरूद्ध किये गये अपराधों में वसूली दर काफी कम रहने की स्थिति रहेगी एवं सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध बढ़ेगें फिर अभी वैशविक महामारी करोना COVID-19 के प्रभाव के चलते पूरे विश्व में जबरदस्त अर्थिक संकट एवं मंदी का दौर आ चुका है या भविष्य में परिलक्षित होने वाला है फलस्वरूप Lock Down खुलने के पश्चात चोरी, लूट, डकैती इत्यादि अपराध बढ़ने लगे है क्योकि बंद के फलस्वरूप बेरोजगार बढ़ी है। इस अध्ययन में तीनों संकल्पनाओं को सही पाया गया है प्रथम चोरी गई सम्पत्ति का वापस मिलना कठिन है द्वितीय सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधों में दंण्डित अपराधियों का प्रकरण 36 प्रतिशत से अधिक नहीं है एवं तृतीय दक्षिण के राज्यों में केरल को छोडकर (तमिलनाडू, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश एवं तेलंगाना में देश के अन्य भागों से वसूलीदर कॉफी अच्छी है एवं देश का अन्य भाग में वसूली दर कफी कम है देश की अर्थिक राजधानी मुम्बई एवं देश की राजधानी दिल्ली में वसूलीदर क्रमशः 9 एवं 11 प्रतिशत है जो काफी विचारनीय है।

निष्कर्ष

सारांश में यह कहा जा सकता है कि भारत में डकैती, लूट, चोरी, अर्थिक अपराध एवं सम्पत्ति के विरूद्ध किये गये अपराधों में सम्पतित की वसूली दर एवं दंडित प्रकरण काफी कम है। यह सभ्य एवं विकासशील देश के लिये चिंताजनक है हमें अपने अपराधिक न्याय प्रशासन में सुधार की सख्त आवश्यकता है।

सुझाव

प्रथम सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध में दण्ड प्रक्रिया सहिता के धारा 428 के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाना चाहिये अर्थात विचारणीन समय में जेल में काटे गये समय को कारावास से दंडित मामलों में दोषी पाये जाने के तिथि से ही सजा की अवधि की गणना की जाना चाहिए । द्वितीय सम्पत्ति जहॉ राशी ज्यादा है वहॉ पराविक्ष अधिनियम एवं

पैरोल का नही दिया जाना चाहिये । तृतीय सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध में जुर्माना की राशी अत्यधिक होनी चाहिये जिससे अपराधी को सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध में भय होना चाहिए कि चुराई गई राशी के पकडे जाने पर चार या पॉच गुना ज्यादा जुर्माना (भरपाई) करनी पडेगी। आदतन एवं सफेदपोश अपराधीयों के साथ कठोर दण्ड एवं अत्यधिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Crime in India एराष्ट्रीय अपराध ब्यूरो नई दिल्ली से प्रकाशित ऑकडें वर्ष 2001 से 2017 तक ।*
2. *विधिशास्त्र एक परिचय – प्रो. इन्द्रजीत सिंह।*
3. *विधिशास्त्र एवं विधिक सिद्धांत विजय नारायण त्रिपाठी 2015*
4. *अपराधशास्त्र, दण्डशास्त्र एवं पीड़ितशास्त्र – प्रो. एन. वी.परांजये 2017 5. अपराध एवं दण्डशास्त्र – प्रो. मुरलीधर चतुर्वेदी।*
5- *Criminology : Hermann Mannheim 1993*
6- *The Theory of Legislabon Jeremy Bentham 1986ण्*
7- *अपराध के सिद्धांत : डॉ. श्यामधर सिंह।*
8- *Criminology and Economic Condition 1916ण्*